

परियोजना का नाम :-

देवार चिन्तोली गैर आदिवासी के किसी वन में नहर निर्माण
जलपट्ट स्थान से कोठा गैर आदिवासी के क्षेत्र में

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बेरावलतहसील अध्यात्मिक जिला अमृतसर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला अमृतसर उत्तराखण्ड में

परियोजना के निर्माण हेतु (—
 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.018 हे0, वन पंचायत भूमि
0.477 हे0) अर्थात् कुल 0.495 हे0 वन भूमि का लोन्गरी विभाग/संस्था के
 पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत
 किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बेरावल द्वारा दिनांक 03/12/2014 सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बेरावल/कोठा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोन्गरी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 / [Signature]

ग्राम सभा अध्यक्ष

सचिव [Signature]दिनांक 03/12/2014 (अमृतसर)ह0 / [Signature]

ग्राम पंचायत

ग्राम सचिव-अध्यात्मिक

दिनांक 03/12/2014 (अमृतसर)

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

92 all

पृष्ठ-23

दिनांक 03/08/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बेरावा
पञ्चायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित व्यक्ति	ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जोहरा राम	जोहरा राम	जोहरा राम
2	पेमराज	पेमराज	पेमराज
3	बल्लभ राम	बल्लभ राम	बल्लभ राम
4	बनीरा देवी	बनीरा देवी	बनीरा देवी
5	बनीरा देवी	बनीरा देवी	बनीरा देवी
6	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी
7	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी
8	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी
9	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी
10	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी
11	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी
12	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी
13	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी
14	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी
15	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी
16	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी
17	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी
18	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी
19	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी
20	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी	बल्लभ देवी

मेरा राग

मिस्र
ब्रज
ब्रज ब्रज ब्रज
लीला

श्रीमान्
 श्रीमान्
 श्रीमान्

राज्य व न्यायिक विकास अधिकारी

वि. सं. स्यान्ते (तन्मोहा)

2021/01/25

20/12/20

El Ar

Amul

Admission

मजदुरी

भवानसिंह

[illegible]

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के कि०सी० ७ से नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा जावे तक मोटर मार्ग का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रूपावदे
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, रूपावदे

उपखण्ड रूपावदे परिक्षेत्र के अन्तर्गत नगरकोटिया से कोठा हे० आरक्षित वन भूमि, ०.०१८ हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि ०.०१८ हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल ०.०३६ हे० वन भूमि) का प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रूपावदे) की दिनांक १४-११-२०१५ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रूपावदे नबियाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 1- | श्री <u>N.S. NABHYAL</u> | उपजिलाधिकारी | <u>उप जिलाधिकारी,</u> | अध्यक्ष |
| 2- | श्री <u>वि० ख० स्यालदे</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | <u>सचिव (ग्रामोद्योग)</u> | सदस्य |
| 3- | श्री <u>वि० ख० स्यालदे</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>सहायक विकास अधिकारी</u> | सदस्य |
| 4- | श्री <u>वि० ख० स्यालदे</u> | बी०डी०सी० क्षेत्र | <u>वि० ख० स्यालदे (सहायक)</u> | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के कि०सी० ७ से कोठा जावे तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु ०.०३६ वन भूमि

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूपावदे द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रूयाल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत
नगर के लिए से कोठा परियोजना के निर्माण हेतु ०.१५५
हे० वन भूमि ०.१५५ प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—रूयाल्दे
जनपद—अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—रूयाल्दे
जनपद—अल्मोड़ा

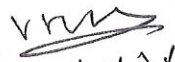
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—रूयाल्दे
जनपद—अल्मोड़ा

जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1. परियोजना का नाम :- देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 9 से नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण। (1.825 किमी.)

वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जनपद स्तरीय बैठक दि० 01.12.2014 के अनुसार प्रमाण-पत्र।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित देघाट-चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 9 से नगरकोटियानामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (1.825 किमी.) के निर्माण हेतु 0.49.5. है 0 वनभूमि का अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, अल्मोड़ा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

~~हस्ताक्षर~~ 
जिलाधिकारी 01/12/14

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Almora

No :.....

Dated:.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that.....0.495.....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Deeghat-Chintali motor Road to Nagarhatya to village Potha motor Road..... (Purpose for diversion of forest land) in Almora.....district falls within jurisdiction of wh. the village(s) in Syalde.....Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.495 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent to it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

11-014
Tehsildar
तहसीलदार स्याल्दे
जिला-अल्मोडा (उत्तराखण्ड)

S.D.M.
जिला अधिकारी,
अल्मोडा (उत्तराखण्ड)

11/12/14
जिला अधिकारी
अल्मोडा

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

12/11/14
जिला अधिकारी
अल्मोडा

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire ^{0.495} 2.362 het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribus and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Goverment as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बलमोड़ा

(Full name of the official seal of the District Collector)

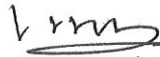
VRM
06/12/16
जिला अधिकारी
बलमोड़ा
Signature

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S. Deputy Commissioner, Almora on date 01-12-2014 at time 3:0 Pm at Almora, in which application claiming rights of Forest land area measuring 0.495 hect. for the Construction of Dehat chintan Riang to Nagar Kotya toktha m/R of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :


Signature 16.12.14

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अरमोड़ा

जिला अधिकारी
अरमोड़ा.